अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(51)का./क–1/गो.प्र./2012 जयपुर, दिनांक 3 OCT 2012

परिपत्र

मेरे ध्यान में आया है कि राज्य सेवा अधिकारियों के विभिन्न वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन विभाग में बकाया चल रहे है । राज्य सेवा अधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के पूर्ति के अभाव में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इत्यादि के समय उनका नियमित चयन नहीं हो पाता जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पडता है । यह स्थिति खेदजनक है ।

कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग द्वारा जारी कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुदेश 2008 में प्रतिवेदित /प्रतिवेदक /समीक्षक अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन की पूर्ति किए जाने बाबत समय निर्धारण भी किया हुआ है परन्तु निर्धारित समय में कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की पूर्ति नहीं की जाती है । प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की पूर्ति कर प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की हो तो प्रतिवेदक अधिकारी अपने स्तर से प्रतिवेदन के भाग–II की पूर्ति कर समीक्षक अधिकारी को प्रस्तुत करें। प्रतिवेदक अधिकारी सेवा निवृत हो गये हो तो प्रतिवेदित अपना प्रतिवेदन सीधे ही समीक्षक अधिकारी को प्रस्तुत करें व. समीक्षक अधिकारी भी सेवा निवृत हो गये हो तो स्वीकारकर्ता अधिकारी को पूर्ति हेतु प्रस्तुत करें। अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन कार्यरत समस्त राज्य सेवा अधिकारियों के बकाया प्रतिवेदनों की 15 दिवस में पूर्ति कर इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें ।

3.10.2012
(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–.

1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3.उप सचिव, मुख्य सचिव ।
4.समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव
5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
6.समस्त संभागीय आयुक्त ।
7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9.एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।

विशेषाधिकारी